



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24012026-269573
CG-DL-E-24012026-269573

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 341]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 23, 2026/माघ 3, 1947

No. 341]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 23, 2026/MAGHA 3, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2026

का.आ. 369(अ).— भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम(5) के उप-नियम (3) के साथ पठित पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा(1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना जारी की जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ.5481(अ), में तारीख 31 दिसंबर, 2021 को प्रकाशित किया गया था (जिसे इसमें इसके पश्चात राख के उपयोग से संबंधित अधिसूचना, 2021 के रूप में संदर्भित किया जाएगा);

और राख के उपयोग से संबंधित अधिसूचना के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न हितधारकों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

अतः अब, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा उप-धारा (2) के खंड (v) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा राख के उपयोग से संबंधित अधिसूचना, 2021 में निम्नलिखित संशोधनों का मसौदा प्रकाशित करती है, जिसे केन्द्रीय सरकार आम जनता की जानकारी के लिए प्रस्तुत करती है, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, और

एततद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त संशोधनों के प्रारूप पर विचार किया जाएगा।

तय समय से पहले इन मसौदा संशोधनों के बारे में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली टिप्पणी या सुझाव पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

कोई भी व्यक्ति जो उक्त मसौदा संशोधनों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता है, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर उसे सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली 110003 या ईमेल: sohsmd-mef@gov.in पर ईमेल भेज सकता है।

राख के उपयोग से संबंधित अधिसूचना, 2021 में संशोधन का मसौदा

राख के उपयोग से संबंधित अधिसूचना, 2021 में,-

(1) पैरा 'क' में,-

(i) उप पैरा (3) में,-

- (क) “केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)” शब्द और अक्षर के स्थान पर “केन्द्रीय विद्युत प्राथिकरण” शब्द रखा जाएगा;
- (ख) “सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय” शब्द और अक्षर के पश्चात, “केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड” शब्द और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ii) उप-पैरा (4) में,

(क) तीसरे परंतुक में, -

(i) “बशर्ते कि” शब्दों के पश्चात “तक” शब्द शामिल किए जाएंगे,

(ii) “अगले चक्र में भी ले जाया जाएगा” शब्दों के पश्चात “(अर्थात् अनुपालन चक्र के दौरान उपयोग से छूट दी जा सकती है)” शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) चौथे परंतुक में, -

(i) “सारणी में विनिर्दिष्ट 60 प्रतिशत से कम ताप विद्युत संयंत्रों के लिए विनिर्दिष्ट अनुपालन चक्र के समान” शब्दों, संख्याओं और अंकों के स्थान पर “पाँच वर्षों का” शब्द रखा जाएगा।

(ग) टिप्पण में,-

(i) “01 अप्रैल, 2022” शब्द, संख्या, अक्षर और अंक के पश्चात, “अथवा ताप विद्युत संयंत्रों के चालू होने का वित्तीय वर्ष, जैसा लागू हो” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(iii) उप पैरा (5) में, -

(क) पहले परंतुक में, “ताप विद्युत संयंत्र की संस्थापिक क्षमता के अनुसार” शब्दों के स्थान पर, “तत्कालीन वर्ष के दौरान ताप विद्युत संयंत्र द्वारा” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ख) दूसरे परंतुक के स्थान पर, -

(i) “इस संबंध में प्रमाणित करेगा” शब्दों के स्थान पर “31 मार्च, 2025 तक इस संबंध में प्रमाणित कर दिया है” शब्द, अक्षर, संख्या तथा आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ii) शब्द, अक्षर, संख्या, आंकड़े और कोष्ठक “राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड(एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) द्वारा प्रमाणीकरण सहित राख तालाब या डाइक का स्थिरीकरण और भूमि-उद्धार का कार्य 01 अप्रैल, 2022 से तीन वर्ष के भीतर किया जाएगा।” का लोप किया जाएगा।

(iv) उप पैरा (6) में,-

(क) आरंभिक पैरा में,-

(i) “केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के परामर्श से बनाए गए और ये दिशानिर्देश” शब्दों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर, “जून, 2023 में जारी किए गए, और इसके संशोधन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के परामर्श से केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा तैयार किए गए और जो” शब्द, अक्षर, आंकड़े और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे,

(ii) “और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन महीने के भीतर लागू किया जाएगा” शब्दों का लोप किया जाएगा।

(ख) पहले परंतुक में,-

(i) “वशर्ते कि दो क्रियाशील राख तालाब अथवा डाइक तक” शब्दों के पश्चात, “अनुमति है” शब्द अंतर्विष्ट किए जाएंगे,

(ii) “अधिकतम चार परिचालन राख तालाब अथवा डाइक” शब्दों के पश्चात, “अनुमति है” शब्द अंतर्विष्ट किए जाएंगे,

(iii) शब्द “हो सकता है” हटा दिए जाएंगे,

(iv) “सूचित करेगा” शब्दों के स्थान पर “सूचित किया गया” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा,

(v) “केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)” शब्दों, अक्षरों और कोष्ठकों के पश्चात, “केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)” शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक शामिल किए जाएंगे।

(ग) दूसरे परंतुक में,-

(i) “केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)” शब्दों, अक्षरों और कोष्ठकों के पश्चात, “केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)” शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक शामिल किए जाएंगे।

(ii) शब्द, अक्षर, संख्या तथा आंकड़े “अथवा 31 मार्च, 2023 तक जो भी बाद में हो” हटा दिए जाएंगे।

(v) उप पैरा (8) में, ‘सूखी फ्लाई ऐश के भण्डारण हेतु’ शब्दों के पश्चात, ‘साइलोस’ शब्द हटा दिए जाएंगे।

(vi) उप पैरा (9) में, “केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वेब पोर्टल” शब्दों और आंकड़ों के स्थान पर “कोयला राख प्रबंधन पोर्टल (सीएमपी)” शब्द, आंकड़े और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(2) पैरा ख में,-

(i) उप पैरा (3) में, -

(क) आरंभिक पैरा के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(3) कोयला या लिंगाइट ताप विद्युत संयंत्रों से (सड़क मार्ग से) 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी खानों(सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र) के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे महानिदेशक, खान सुरक्षा (डीजीएमएस) के दिशा-निर्देशों के अनुसार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के अंतर्गत बैकफिलिंग अथवा स्टोरिंग (चल रही अथवा परित्यक्त, जैसी भी स्थिति हो) को भरें।”

(ख) परंतुक में, शब्द “और खानों के खाली स्थानों और डेरों में अधिकभार के साथ राख को मिश्रित करना, सृजित अधिभार के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से लागू होगा” का लोप किया जाएगा।

(ग) ‘स्पष्टीकरण’ में,-

(i) शब्द और संख्या “और अधिभार वाले डेर के साथ मिश्रित करने के लिए खाली स्थान को भरने के लिए राख के 25 प्रतिशत हिस्से के उपयोग” का लोप किया जाएगा।

(ii) “को भरने के लिए” शब्दों के पश्चात “राख” शब्द को शामिल किया जाएगा।

(ii) उप -पैरा (4)(i)में,-

(क) शब्द “और अधिभार वाले डेर के साथ राख को मिश्रित करने के लिए” का लोप किया जाएगा,

(ख) “28 अगस्त, 2019” शब्द, अक्षर, संख्या और आंकड़ा के पश्चात, शब्द “और उसमें किए जाने वाले संशोधन” अंतर्विष्ट किए जाएंगे।

(iii) उप पैरा 4(ii) में, -

(क) “मंत्रालय” शब्द स्थान पर “पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) शब्द “और अधिभार वाले डेर के साथ मिश्रण करना” का लोप किया जाएगा।

(iv) उप पैरा (5) (i) में, -

(क) “केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)” शब्दों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर “केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)” शब्द, अक्षर और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ख) “कोयला मंत्रालय” शब्दों और आंकड़े के पश्चात, “सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)” शब्द, अक्षर, आंकड़े और कोष्ठक अंतर्विष्ट किए जाएंगे।

(ग) “अथवा अधिभार वाले डेर के साथ मिश्रण करना” शब्दों का लोप किया जाएगा,

(घ) “एक समिति होगी जिसकी अध्यक्षता.... करेगी.” वाक्य के पश्चात, “समिति की बैठक छह माह में कम से कम एक बार होगी.” वाक्य प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(v) उप पैरा 5 (ii) के पश्चात निम्नलिखित उप-पैरा शामिल किया जाएगा, अर्थात्,-

“(iii) राख उपयोगकर्ताओं के अनुरोध पर, उप-पैरा (5) (i) के अंतर्गत गठित समिति ताप विद्युत संयंत्रों में राख की उपलब्धता की समीक्षा करेगी, उपयोगकर्ताओं की व्यवहार्यता और भौगोलिक निकटता का आकलन

करेगी तथा प्रासंगिक पर्यावरणीय मापदंडों पर विचार करेगी, ताकि निर्धारित पर्यावरण अनुकूल उद्देश्यों के लिए राख के आवंटन के संबंध में ताप विद्युत संयंत्रों को सिफारिशें दी जा सकें।"

(vi) उप-पैरा (7) में,-

(क) "केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)", शब्दों, अक्षरों और कोष्ठकों के बाद "केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के परामर्श से" इन शब्दों, अक्षरों और कोष्ठकों को शामिल किया जाएगा।

(ख) शब्द "एक वर्ष के भीतर" हटा दिया जाएगा,

(ग) "अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया" शब्दों के बाद, "का" शब्द शामिल किया जाएगा।

(vii) उप-पैराग्राफ (9) में, "भारतीय मानक व्यूरो, भारतीय सड़क कांग्रेस और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" शब्दों के लिए शब्दों और अंकों के स्थान पर "भारतीय मानक व्यूरो और भारतीय सड़क कांग्रेस" शब्दों और अंकों को शामिल किया जाएगा।

(viii) "उप-पैराग्राफ 10 में, ""अन्य प्रासंगिक विनियमन के लिए" शब्दों के बाद, "संवर्धन और अधिकतम" शब्द शामिल किया जाएगा।"

(3) अनुच्छेद ग में,-

(i) उप-पैराग्राफ (1) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-

(i) तीन वर्ष के चक्र के प्रथम दो वर्षों में, यदि कोयला या लिंगाइट आधारित तापीय ऊर्जा संयंत्र (कैप्टिव और/ या सह-उत्पादक स्टेशनों या दोनों सहित) ने कम-से-कम 80 प्रतिशत राख (फ्लाई-राख और बॉटम-राख) उपयोग नहीं की है तो ऐसे गैर-अनुपालन ताप विद्युत संयंत्रों पर प्रस्तुत की गई वार्षिक रिपोर्टों के बाद वार्षिक अनुपालन लेखापरीक्षा पर किए गए पुनर्अकलन के आधार पर वित्तीय वर्ष के अंत में अप्रयुक्त राख पर 1000 रुपए प्रति टन की दर से पर्यावरणीय प्रतिकर लगाया जाएगा और यदि यह अनुपालन चक्र के अंत तक अनुपालन चक्र (ऐसी अप्रयुक्त राख मात्रा को छोड़कर अर्थात् वित्तीय वर्ष के अंतिम वर्ष के दौरान उत्पन्न राख के 20% तक, जिसे पैरा ए (4) के अनुसार उत्पन्न औसत 100 प्रतिशत राख का उपयोग करने में असमर्थ है अतिरिक्त उपयोग के लिए अगले अनुपालन चक्र में ले जाने की अनुमति है, यह अप्रयुक्त मात्रा पर, जिस पर पूर्व में पर्यावरणीय प्रतिपूर्ति नहीं लगाई गई है, पर प्रति टन 1000 रुपये की पर्यावरणीय प्रतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी होगा:

बशर्ते कि पर्यावरणीय प्रतिकर का अनुमान पैरा क के उप-पैरा (4) में उल्लिखित विभिन्न उपयोगी श्रेणियों के अनुसार प्रथम अनुपालन चक्र के अंतिम वर्ष के अंत में लगाया जाएगा और अधिरोपित किया जाएगा।

इसके बाद, प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्टों के बाद प्रस्तुत वार्षिक अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर किए गए पुनर्अकलन के आधार पर वित्तीय वर्ष के अंत में पर्यावरणीय प्रतिकर का अनुमान लगाया जाएगा जिसके बाद प्रस्तुत वार्षिक अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा।

(ii) उप-पैराग्राफ (2) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-

"(2) ताप विद्युत संयंत्र और अन्य चूककर्ताओं से एकत्र किया गया पर्यावरण प्रतिकर संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) के निर्दिष्ट खाते में जमा किया जाएगा, जो 75% राशि अपने पास रखेगा और कुल राशि का 25% केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हस्तांतरित करेगा।"

(iii) उप-पैराग्राफ (4) का हटाया जाएगा;

(iv) उप-पैराग्राफ (5) में, शब्द और अंको "1500 या" को "1000" अंको के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) उप-पैराग्राफ (6) में, "1500" अंको को "1000" अंको के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) उप-पैराग्राफ (7) (i) के लिए, "केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा" शब्द हटाया जाएगा;

(4) पैराग्राफ ड में,-

(i) उप-पैराग्राफ (1) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-

"(1) (i) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी), उपबंधों के अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन और निगरानी प्राधिकरण होंगे और तिमाही आधार पर राख के उपयोग की निगरानी करेंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के साथ परामर्श से अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से छः माह के भीतर एक पोर्टल तैयार करेगा और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) पोर्टल पर सभी कोयला या लिंगाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा पंजीकरण और राख डेटा अपलोड सुनिश्चित करेंगे। संबंधित जिला अधिकारी के पास इस अधिसूचना के उपबंधों को लागू करने और निगरानी करने के लिए समर्वर्ती क्षेत्राधिकार होगा।

(iii) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) तिमाही आधार पर राख के उपयोग के साथ-साथ ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी करेगा, और इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(iv) (ii) उप-पैराग्राफ (2) (i) के लिए, -

(क) "केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण" शब्दों के लिए, "केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी)" शब्द, अक्षर और कोष्ठक को प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ख) "31 मई तक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत" शब्द और अक्षर के लिए, शब्दों के स्थान पर शब्द, अक्षर और संख्या को "इसे अपनी वेबसाइटों पर प्रकाशित करते हैं और 30 जून तक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iii) उप-पैराग्राफ (2) (ii) के लिए, -

(क) "अनुपालन रिपोर्ट में" शब्दों के स्थान पर "किसने प्राप्त किया है" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) जो भी लागू हो, ' शब्दों के स्थान पर प्रत्येक वर्ष संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को, इस अधिसूचना के अंतर्गत संचालित ऑनलाइन पोर्टल पर शब्द प्रतिस्थापित ' किए जाएंगे।

(ग) "केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ..." से शुरू होने वाले वाक्य के लिए, "संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) ताप विद्युत संयंत्रों को छोड़कर अन्य सभी एजेंसियों के राख उपयोग की वार्षिक रिपोर्ट अलग से प्रकाशित करेगी। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को प्रस्तुत करने के साथ अपनी वेबसाइट पर अधिसूचना के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे " को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iv) उप-पैरा (3) के लिए,-

(क) "अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)" शब्दों के स्थान पर "अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(ख) सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय शब्दों के लिए, शब्द, अक्षर, अंको और कोष्ठक के लिए "सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ग) "पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) शब्दों के बाद, "और विद्युत मंत्रालय" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(व) उप पैरा (5) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

"(5) ताप विद्युत संयंत्रों और उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा राख निपटान के लिए अनुपालन लेखा परीक्षा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और/या पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम, 2025 के तहत प्रमाणित पर्यावरण लेखा परीक्षकों द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाएगा। लेखापरीक्षा रिपोर्ट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी एसओपी के अनुसार तैयार की जानी है और लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त तक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) को प्रस्तुत की जाएगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर गैर-अनुपालन ताप विद्युत संयंत्रों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करेगी। वार्षिक अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्टों के आधार पर वार्षिक राख अनुपालन स्थिति रिपोर्ट केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा संकलित की जाएगी और पैरा ३ (3) में गठित समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी।

(5) परिशिष्ट में, शब्द, अक्षर और अंक "31 मई" के लिए, शब्द, अक्षर और अंक "30 अप्रैल" प्रतिस्थापित की जाएगी।

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. 09/01/2019-एचएसएमडी]

नीलेश कुमार साह, संयुक्त सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना दिनांक 31 दिसंबर, 2021 के का.आ. 5481 (अ), के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (ii) में प्रकाशित की गई थी और 30 दिसंबर, 2022 के का.आ. 6169 (अ), को संशोधित की गई थी तथा दिनांक 1 जनवरी, 2024 दिनांक के का.आ. 05(अ) पिछली बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2026

S.O. 369(E).— Whereas, the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule (5) of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) *vide* S.O.5481(E), dated the 31st December, 2021 (herein after referred to as the Ash Utilisation Notification, 2021);

And whereas, requests have been received from various stakeholders regarding implementation of provisions of the ash utilisation notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with rule (5) of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby publishes the following draft amendments to the Ash Utilisation Notification, 2021, which the Central Government proposes to make, for information of the public likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft amendments will be taken into consideration by the Central Government after expiry of a period of sixty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft amendments before the period specified will be taken into consideration by the Central Government.

Any person desirous of making any objection or suggestion with respect to the said draft amendments may forward the same, within the period of 60 days from the date of publication of this notification in the Gazette, to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi 110003 or electronically at email address: sohsmd-mef@gov.in

DRAFT AMENDMENTS TO ASH UTILIZATION NOTIFICATION, 2021

In the Ash Utilisation Notification, 2021,-

- (1) in paragraph A,-
 - (i) in sub-paragraph (3),-
 - (a) the words, letters and figures “Central Pollution Control Board (CPCB)” will be replaced with the words “Central Electricity Authority”;
 - (b) after the words and figure “Ministry of Road Transport and Highways,”, the words and figure “Central Pollution Control Board,” will be inserted.
 - (ii) in sub-paragraph (4),
 - (a) in the third proviso, -
 - (i) after the words “Provided also that”, the words “up to” shall be inserted,
 - (ii) after the words “carried forward to the next cycle”, the words, letters, figures and brackets “(i.e. may be exempted from utilization during the compliance cycle)” shall be inserted.
 - (b) in the fourth proviso,-
 - (i) for the words, numbers and figures “similar to the compliance cycle specified for thermal power plants having utilisation per cent. less than 60 per cent. as specified in the table”, the words “of five years” shall be substituted.
 - (c) in the Note,-
 - (i) after the word, numbers, letters and figure “1st April, 2022”, the words and figure “or the financial year of commissioning of the thermal power plants, as applicable” shall be inserted.
 - (iii) in sub-paragraph (5),-
 - (a) in the first proviso, for the words “as per installed capacity of thermal power plant”, the words “by the thermal power plant during the corresponding year” shall be substituted.
 - (b) for the second proviso,-
 - (i) for the words “shall certify in this regard”, the words, letters, numbers and figure “has certified in this regard by 31st March,2025” shall be substituted,

(ii) the words, letters, numbers, figures and brackets “Stabilisation and reclamation of an ash pond or dyke including certification by the State Pollution Control Board (SPCB) or Pollution Control Committee (PCC) shall be carried out within three years from 1st April, 2022.” shall be deleted.

(iv) in sub-paragraph (6),-

(a) in the opening paragraph,-

- (i) for the words, letters and brackets “of Central Pollution Control Board (CPCB) made in consultation with the Central Electricity Authority (CEA) and these guidelines shall”, the words, letters, numbers, figures and brackets “issued in June, 2023, and its amendments thereon, prepared by the Central Electricity Authority (CEA) in consultation with Central Pollution Control Board (CPCB) and which shall” shall be substituted,
- (ii) the words “and shall be put in place within three months from the date of publication of this notification” shall be deleted.

(b) in the first proviso,-

- (i) after the words “Provided that up to two operational ash ponds or dykes”, the words “are permitted” shall be inserted,
- (ii) after the words “up to four operational ash ponds or dykes”, the words “are permitted” shall be inserted,
- (iii) the words “may be” shall be deleted,
- (iv) for the words “shall inform”, the word “informed” shall be substituted,
- (v) after the words, letters and brackets “Central Pollution Control Board (CPCB)”, the words, letters, figure and brackets “, Central Electricity Authority (CEA)” shall be inserted.

(c) in the second proviso,-

- (i) after the words, letters and brackets “Central Pollution Control Board (CPCB)”, the words, letters, figure and brackets “, Central Electricity Authority (CEA)” shall be inserted.
- (ii) the words, letters, numbers and figures “or by 31st March, 2023, whichever is later” shall be deleted.
- (v) in sub-paragraph (8), after the words ‘for storage of dry fly ash’, the word ‘silos’ shall be deleted.
- (vi) in sub-paragraph (9), for the words and figure “Central Pollution Control Board’s web portal”, the words, letters and figures “Coal Ash Management Portal (CAMP)” shall be substituted.

(2) in paragraph B,-

(i) in sub-paragraph (3),-

(a) for the opening paragraph, the following shall be substituted, namely,-

“(3) It shall be obligatory on all mines (Government, Public and Private Sector) located within 300 kilometers radius (by road) from coal or lignite thermal power plants to undertake backfilling of mine voids or stowing of mines (running or abandoned as the case may be), under Extended Producer Responsibility (EPR), as per the guidelines of the Director General of Mines Safety (DGMS).”

(b) in the proviso, the words “and mixing of ash with overburden in mine voids and dumps shall be applicable for the overburden generated from the date of publication of this notification” shall be deleted.

(c) in the ‘Explanation’,-

- (i) the words and numbers “using 25 per cent of ash for mixing with overburden dump and” shall be deleted,
- (ii) after the words “filling up of”, the word “ash” shall be inserted.

- (ii) in sub-paragraph (4) (i),-
 - (a) the words “and mixing of ash with overburden dumps” shall be deleted,
 - (b) after the word, letters, numbers and figure “28th August, 2019”, the words “and amendments thereon” shall be inserted.
- (iii) in sub-paragraph 4 (ii), -
 - (a) for the word “Ministry”, the words “Ministry of Environment, Forest and Climate Change” shall be substituted;
 - (b) the words “and mixing with overburden dumps” shall be deleted.
- (iv) in sub-paragraph (5) (i) ,-
 - (a) for the words, letters and brackets “Central Pollution Control Board (CPCB)”, the words, letters and brackets ‘Central Electricity Authority (CEA)’ shall be substituted,
 - (b) after the words and figure “Ministry of Coal,”, the words, letters, figures and brackets “Ministry of Road Transport and Highways, Ministry of Ports, Shipping, and Waterways, Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Central Pollution Control Board (CPCB),” shall be inserted,
 - (c) the words “or mixing of ash with overburden dump” shall be deleted,
 - (d) after the sentence “There shall be a committee headed by....”, the sentence “The committee shall meet at least once in six months.” shall be inserted.
- (v) after sub-paragraph 5(ii), the following sub-paragraph shall be inserted, namely,-

“(iii) Upon request from ash users, the Committee constituted under sub-paragraph (5)(i) shall review the availability of ash at thermal power plants, assess the feasibility and geographical proximity of users and consider relevant environmental parameters, to provide recommendations to thermal power plants regarding the allocation of ash for prescribed eco-friendly purposes.”
- (vi) in sub-paragraph (7),-
 - (a) after the words, letters and brackets “Central Pollution Control Board (CPCB)”, the words, letters and brackets “in consultation with Central Electricity Authority (CEA)” shall be inserted,
 - (b) the words “within one year” shall be deleted,
 - (c) after the words “online application process for the grant”, the word “of” shall be inserted.
- (vii) in sub-paragraph (9), for the words and figures “Bureau of Indian Standards, Indian Road Congress, and Central Pollution Control Board”, the words and figures “Bureau of Indian Standards and Indian Road Congress” shall be substituted.
- (viii) in sub-paragraph 10, after the words “other relevant regulations for”, the words “promoting and maximizing” shall be inserted.

(3) in paragraph C,-

- (i) for sub-paragraph (1), the following shall be substituted, namely,-

“(1) In the first two years of a three years cycle, if the coal or lignite based thermal power plant (including captive or co-generating stations or both) has not achieved at least 80 per cent ash (fly ash and bottom ash) utilisation, then such non-compliant thermal power plants shall be imposed with an environmental compensation of Rs. 1000 per ton on unutilised ash after the end of financial year of the compliance cycle based on the annual reports submitted, followed by reassessment based on the annual compliance audit report, and if it is unable to utilise average 100 per cent of ash generated during the compliance cycle by the end of compliance cycle (except for such unutilized ash quantity i.e. up to 20% of ash generated during the last year of the financial year, which is permitted to be carry forward to the next compliance cycle for additional utilization as per Para A(4)), it shall be liable to pay an environmental compensation of Rs. 1000 per ton on the unutilised quantity on which environmental compensation has not been imposed earlier:

Provided that the environmental compensation shall be estimated and imposed at the end of last year of the first compliance cycle as per the various utilisation categories as mentioned in sub-paragraph (4) of Para A. Thereafter, the environmental compensation shall be estimated and imposed at the end of the financial year based on the annual reports submitted, followed by reassessment based on the annual compliance audit report submitted.”

(ii) for sub-paragraph (2), the following shall be substituted, namely,-
 “(2) Environmental compensation collected from thermal power plants and other defaulters shall be deposited in the designated account of concerned State Pollution Control Board (SPCB) or Pollution Control Committee (PCC), which shall retain 75% amount with it and transfer 25% of the total amount to Central Pollution Control Board.”

(iii) sub-paragraph (4) shall be omitted;

(iv) in sub-paragraph (5), the word and number “1500 or” shall be substituted with the number “1000”;

(v) in sub-paragraph (6), the word “1500” shall be substituted with the number “1000”;

(vi) for sub-paragraph (7) (i), the words “by Central Pollution Control Board” shall be deleted;

(4) In paragraph E,-

(i) for sub-paragraph (1), the following shall be substituted, namely,-
 “(1) (i) The Central Pollution Control Board (CPCB) and the concerned State Pollution Control Board (SPCB) or Pollution Control Committee (PCC) shall be the enforcing and monitoring authority for ensuring compliance of the provisions and shall monitor the utilisation of ash on quarterly basis. Central Pollution Control Board (CPCB) in consultation with Central Electricity Authority (CEA) shall develop a portal for the purpose within six months of date of publication of the notification and Central Electricity Authority (CEA) and the concerned State Pollution Control Board (SPCB) shall ensure the registration and ash data upload by all the coal or lignite based thermal power plants on the portal. The concerned District Magistrate shall have concurrent jurisdiction for enforcement and monitoring of the provisions of this notification.
 (ii) Central Electricity Authority (CEA) shall monitor the utilization of ash as well as the compliance of the provisions by the thermal power plants, on a quarterly basis, and shall furnish the reports in this regard.”

(ii) for sub-paragraph (2)(i), -
 (a) for the words “Central Pollution Control Board and Central Electricity Authority”, the words, letters and brackets “Central Electricity Authority (CEA) and the concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee (PCC)” shall be substituted,
 (b) for the words, letters and numbers “submit to Ministry of Environment, Forest and Climate Change by 31st May”, the words, letters and numbers “publish it on their websites and submit to Ministry of Environment, Forest and Climate Change by 30th June” shall be substituted.

(iii) for sub-paragraph (2)(ii), -
 (a) for the words “in compliance report of”, the words “who have obtained” will be substituted;
 (b) for the words “whichever is applicable,” the words “annually to concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, on online portal functional under this notification” shall be substituted;
 (c) for the sentence starting with “Central Pollution Control Board (CPCB)”, the sentence “The concerned State Pollution Control Board (SPCB) or Pollution Control Committee (PCC) shall separately publish annual report of ash utilisation of all other agencies except thermal power plants to review the effective implementation of the provisions of the notification on its website along with submission to Central Electricity Authority (CEA) and Central Pollution Control Board (CPCB).” shall be substituted.

(iv) for sub-paragraph (3),-
 (a) for the words, letters and figures “Chairperson, Central Pollution Control Board (CPCB)”, the words, letters and figures “Chairperson, Central Electricity Authority (CEA)” will be substituted;
 (b) for the words “Ministry Road Transportation and Highways”, the words, letters, figures and brackets “Ministry of Road Transport and Highways, Central Pollution Control Board (CPCB),” shall be substituted,
 (c) after the words, letters and figures “Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), the words “and Ministry of Power” shall be inserted.

(v) for sub-paragraph (5), the following shall be substituted, namely,-

“(5) The compliance audit for ash disposal by the thermal power plants and the user agency shall be conducted by auditors, authorised by Central Pollution Control Board (CPCB) and/or Certified Environment Auditors under the Environment Audit Rules, 2025. The audit report is to be prepared as per SOP issued by Central Pollution Control Board (CPCB) and audit report shall be submitted to Central Pollution Control Board (CPCB) and concerned State Pollution Control Board (SPCB) or Pollution Control Committee (PCC) by 30th August every year. Central Pollution Control Board and concerned State Pollution Control Board (SPCB) or Pollution Control Committee (PCC) shall initiate action against non-compliant thermal power plants within fifteen days of receipt of audit report. The annual ash compliance status report based on the annual compliance audit reports shall be compiled by the Central Electricity Authority (CEA) and reviewed by the Committee constituted in Para E(3).”

(5) In the Annexure, for the word, letters and numbers “31st May”, the word, letters and numbers “30th April” will be substituted.

This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 09/01/2019-HSMD]

NEELESH KUMAR SAH, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O.5481 (E), dated the 31st December, 2021, amended *vide* number S.O. 6169 (E) dated the 30th December, 2022 and last amended *vide* number S.O. 05(E) dated the 1st January, 2024.